संख्या- 94/2015/375/22-4-15-22/99

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10388/नजारत-4/55/वा0का0/2014, दिनांक 23.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक- 23.01.2015 द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के निष्प्रयोज्य वाहन यू0पी0-32-वाई-6200 के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 नग स्वीफ्ट डिजायर डीजल वीआई डी के क्रय किये जाने हेतु रू0 6,26,779/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जो अपरिहार्य कारणों से क्रय नहीं की जा सकी है। महानिरीक्षक कारागार द्वारा उक्त शासनादेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या- 17/2015/22-4-15-22/99, दिनांक- 23 जनवरी, 2015 को एतद्द्वारा निरस्त करते हैं। फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 23.01.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 6,26,779/- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय अनुदान संख्या- 25 के लेखाशीर्षक "2056-जेलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्य-14- मोटर गाड़ियों का क्रय" मद में प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जान रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**94**/2015/375(1)/22-4-2015-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in